(1)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.23(5)साप्र/2/2018

जयपुर, दिनांक : 01-10-2019

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त महानिरीक्षक पुलिस,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

विषयः- शासनिक कार्यालयों / भवनों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र/पोर्टेट लगाने बाबत।

—: परिपत्र :—

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश की आजादी में योगदान अविस्मरणीय है। उनकी सत्य, अहिंसा की उनकी विचारधारा, स्वच्छता, गरीबों के कल्याण एवं ग्रामोत्थान के प्रयास एवं उनके विचार सदैव अनुकरणीय रहेंगे।

राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में सम्मानस्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र/पोर्टेट लगाये जाते रहे हैं।

यह वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ति का वर्ष है। गांधीजी के जीवनमूल्यों एवं आदर्शों को चिरस्थायी रखने हेतु सभी विभागाध्यक्ष अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का चित्र/पोर्टेट लगाया जाना सुनिश्चित करावें। चित्र/पोर्टेट सहज, सरल एवं प्रचलित तथा न्यूनतम 12"x18" साईज का हो।

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
4. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण एवं राज्यमंत्रीगण।
5. रक्षित पत्रावली।

//
शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर

क्रमांकः-एफ-1( )प्रशा0/आकाशि/2019/5394 दिनांकः- 15-10-2019

पृष्ठांकित प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान ।
2. समस्त अधिकारीगण, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)